

समस्त पत्र व्यवहार 'कुलसचिव' को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व संदर्भ यदि हो तो देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532  
तार : युनिवर्सिटी  
फैक्स : 0731-529540



## देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन  
इन्दौर - 452 001

कं. शैक्षणिक/सम्बद्धता/11/ 2169  
प्रेषक,

दिनांक 27 AUG 2011

कुलसचिव,  
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,  
इन्दौर.

प्रति,

✓ प्राचार्य/संचालक,  
विशिष्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट,  
पोलोग्राउण्ड,  
इन्दौर (म. प्र.)

विषय : सम्बद्धता संबंधी आपका आवेदन

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन दिनांक 11.04.2011 संदर्भ में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.07.11 एवं 12.08.2011 तथा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 19.08.11 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-


अ.क्र.	पाठ्यक्रम/विषय	सत्र	निर्णय
1	बी.कॉम (आनर्स) प्रथमवर्ष,	2011-12	60 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
2	बी.कॉम (सामान्य) प्रथमवर्ष	2011-12	60 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
3	बी.कॉम. (टेक्स प्रोसिजर विषय के साथ) प्रथमवर्ष	2011-12	60 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
4	बी.बी.ए. प्रथमवर्ष	2011-12	60 छात्रों के प्रवेश हेतु अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

शर्तें :

1. Nine (09) faculties of Commerce, Four (04) faculties of Management and Principal must be appointed under college code 28 within 06 months.
2. परिनियम-28 की कंडिका-3 के अनुसार एण्डोमेन्ट फण्ड की राशि रुपये एक लाख की एफ.डी. कुलसचिव एवं महाविद्यालय के संयुक्त नाम से बनवाकर विश्वविद्यालय में (मूलप्रति) जमा करें।
3. चूंकि आपका महाविद्यालय किराये के भवन में संचालित हो रहा है अतः परिनियम कं.-27 के अनुसार बिल्डिंग फण्ड की राशि रु. 25,000/- विश्वविद्यालय में शीघ्र जमा करावें।

- राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि एवं नियमों के अनुसार ही प्रवेश दिये जावें।
- विश्वविद्यालय परिनियम कं. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय

  
कुलसचिव

पृष्ठांकन शैक्षणिक/सम्बद्धता/11/

दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन/रिकार्ड नस्ती एवं शैक्षणिक विभाग पाठ्यक्रम शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद, दे.अ.वि.वि. इन्दौर

उप-कुलसचिव(शैक्ष)



कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक  
प्रति,

/262/आउशि/संबद्धता/11

भोपाल, दिनांक-

कुलसचिव,  
देवी अहेल्या विश्वविद्यालय,  
इंदौर।

विषय:- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24(xii) एवं 26 (एक) (v) एवं धारा 35 (j) के अन्तर्गत अनुमति- नवीन अशासकीय विशिष्ट स्कूल आफ मैनेजमेंट, इंदौर  
संदर्भ:- संस्था का आवेदन, दिनांक 27.5.11

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संस्था का नाम विशिष्ट एजुकेशन सोसायटी, इंदौर द्वारा नवीन अशासकीय विशिष्ट स्कूल आफ मैनेजमेंट, इंदौर को सत्र 2011-12 से निम्नानुसार कक्षाएँ/ पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति/ अनुशंसा प्रमाण पत्र सशर्त जारी किया जाता है :-  
विषय/ पाठ्यक्रम

1. बी.बी.ए. प्रथम वर्ष
2. बी.काम.-आनर्स-प्रथम
3. बी०काम०-प्लेन/टेक्सेशन(अति०वि०)

1- संस्था को अग्रणी महाविद्यालय का संशोधित प्रमाण पत्र कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- 2/ संस्था से संबद्धता हेतु आवेदन के पूर्व निम्न पूर्तियां कराई जावें :-  
अ) संस्था कालेज कोड-28 के अन्तर्गत नियुक्तियों आवश्यक रूप से कर ले।
- 3/ विश्वविद्यालय संबद्धता देने के पूर्व उक्त बिन्दु की पूर्ति सुनिश्चित कर ले, अन्यथा यह अनुमति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 4/ उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं होने की स्थिति में यह अनुमति/ अनुशंसा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- 5/ अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे। संस्था द्वारा कोई असत्य जानकारी देने की स्थिति में अनुमति स्वयंमेव अमान्य मानी जायेगी।  
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक- 25-6-11

पृ० क्रमांक 961 /262/आउशि/संबद्धता/11

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर उज्जैन संभाग, इंदौर।
3. प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, पीजी कन्या महाविद्यालय, मोतीतबेला, इंदौर।
4. अध्यक्ष/सचिव, विशिष्ट एजुकेशन सोसायटी 65/5, आर०एस० शुक्ला मार्ग, पोलोग्राउण्ड, इंदौर।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

For Vishisht School Of Management

Director